[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 35 /2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 09 जुलाई , 2018

सा.का.नि. ..... (अ)- जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "हाई टिनेशिटी पोलिएस्टर यार्न (एसटीपीवाई)" (एतश्मिन पश्चात जिसे 'विषयगत वस्तु' से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 5402 20 90 के अंतर्गत आता है, के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्ष में, जिसे अधिसूचना संख्या 6/12/2017-डीजीएडी, दिनांक 24 मई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, के मामले में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि;

(i) विषयगत वस्तु का विषयगत देश से भारत में इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर आयात किया गया है जिसके कारण यहां इसकी भरमार हो गई है ।
(ii) विषयगत देश से प्रश्नगत उत्पाद की भरमार के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है ।
(iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश से विषयगत वस्तु के फालतू आयात के कारण हुई है ।

और उन्होंने घरेलू उद्योग को होने वाली इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत वस्तु जो कि विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित है और भारत में आयातित है, के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट अधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तुओं, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन शीर्ष/उप शीर्ष/टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित है, जो कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों के द्वारा उत्पादित हैं, और कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (8) की

तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि की बराबर की दर से और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट इकाई में प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्रम. सं.	शीर्ष/उप शीर्ष/टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन वाला देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	5402 20 90*	हाई टिनेशिटी पोलिएस्टर यार्न जिसमें 1000 से कम और 6000 से अधिक डेनियर वाले यार्न, ट्विस्टेड यार्न, कलर्ड यार्न, जिनका डेनियर 1000 से अधिक हो और वे यार्न जिनमें एचएमएलएस की विशेषता हो को छोड़कर	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	ह्यूसंग केमिकल फाइबर (जियाझिंग) कंपनी लि.	ह्यूसंग कॉर्पोरेशन	शून्य	मैट्रिक टन/अमे.डॉलर
2.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	1) झेझियांग गुझियांगडाओ इंडस्ट्रियल फाइबर कं.लि. 2) झेझियांग गुझियांगडाओ पोलिएस्टर डोप डाइड कं.लि.	झेझियांग गुझियांगडाओ इंडस्ट्रियल फाइबर कं.लि.	174	मैट्रिक टन/अमे.डॉलर
3.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	जिआंगसू हेंगली केमिकल फाइबर कं.लि.	जिआंगसू हेंगली केमिकल फाइबर कं.लि.	234	मैट्रिक टन/अमे.डॉलर
4	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	1) झेझिंयांग यूनिफूल इंडस्ट्रियल फाइबर कं.लि. 2) हूझू यूनीफुल इंडस्ट्रीयल फाइबर कं.लि.	झेझिंयांग यूनिफूल इंडस्ट्रियल फाइबर कं.लि.	316	मैट्रिक टन/अमे.डॉलर

5	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	ओरिएंटल इंडस्ट्रियल (सूज़ू) लि.	ओरिएंटल टेक्सटाइल (होल्डिंग) लि.	शून्य	मैट्रिक टन/अमे.डॉलर
6	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	क्रम संख्या 1 से 5 में दिए गए संयोजन से भिन्न अन्य कोई		528	मैट्रिक टन/अमे.डॉलर
7	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	कोई भी	528	मैट्रिक टन/अमे.डॉलर
8	-तदैव-	-तदैव-	कोई भी	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	528	मैट्रिक टन/अमे.डॉलर

*सीमा शुल्क का वर्गीकरण मात्र संकेतात्मक है और शुल्क का निर्धारण उपर्युक्त कॉलम (3) में दिए गए वस्तु के विवरण के अनुसार किया जाएगा ।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

(फाइल संख्या 354/233/2018-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार